

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चिरखली
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान.....कोयल.....

-:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कोयल व भू.अ.नि.
कोयल की रिपोर्ट तथा उप तहसीलदार कोयल की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कोयल तहसील चिरखली जिला
कोयल की जमावन्दी सम्वत् 2025-2028 में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज
प्रविष्टि को विम्वलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>कोयल</u>	214	<u>पुनर्भवत पुत्र</u> <u>कायल</u>	<u>पुनर्भवत पुत्र</u> <u>कायल</u>

उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, चिरखली

क्रमांक :- 305 - 307

दिनांक :- 17/11/2024

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, चिरखली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, चिरखली